

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
पंजीकृत कार्यालय, करौंदा, इमलिया, कटनी रोड, आधारताल, जबलपुर
कस्टमरकेयर नंबर-9406900500, E,mail- jdssanchi@gmail.com
jabalpur.sanchi@gmail.com

क.1037 / जेएसडीएस/ विप.-65/ 2023

जबलपुर

दिनांक: 17.05.2023.

“अभिरुचि की अभिव्यक्ति”

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुपर स्टॉकिस्ट की आवश्यकता है।

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर, को प्रयागराज (उ.प्र.) में साँची ब्राण्ड (मध्यप्रदेश शासन का सहकारी उपक्रम) के दूध एवं दुग्ध उत्पादों (घी, श्रीखण्ड, लस्सी, छेना रबडी, दही, फ्लेवर्ड मिल्क, बटर चिपलेट, रसगुल्ला, गुलाब जामुन वैक्यूम पैक पनीर आदि) के विक्रय हेतु वितरक नियुक्ति के लिये वित्तीय रूप से सुदृढ़, समान व्यवसाय एवं एफएमसीजी कार्य के अनुभवी व्यक्ति/संस्था/फर्म से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। एक से अधिक पात्र आवेदनकर्ता होने की स्थिति में वितरक का चयन लॉटरी प्रक्रिया से किया जावेगा। कार्य की अवधि 03 वर्ष के लिये प्रभावशील होगी। जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर 02 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म आवेदन प्रपत्रों को जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ की वेबसाइट www.sanchidairy.com से डाउनलोड कर पूर्णतः भरकर कार्यालयीन समय में दिनांक 29.05.2023 तक दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कर सकते हैं अथवा रजिस्टर्ड डॉक/स्पीड पोस्ट से भेजे जा सकते हैं। आवेदन प्रपत्र निःशुल्क है। प्रत्येक आवेदन के साथ ई.एम.डी. राशि रु. 10,000/- का जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के नाम बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ई.एम.डी. आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिये जबलपुर मुख्यालय के मो. क्र., 9165908569 एवं 8962116434 पर संपर्क किया जा सकता है।

किसी भी अथवा समस्त आवेदन को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास निहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक नियुक्ति नीति-2022

1. चयन प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु :-

- (अ) साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय हेतु सुपर स्टॉकिस्ट की नियुक्ति आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी आवेदनकर्ता/कंपनी/फर्म जिनके पास मजबूत मार्केटिंग नेटवर्क हो, के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
- (ब) एक शहर हेतु एक पात्र आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में भी आवेदनकर्ता का चयन सुपरस्टॉकिस्ट हेतु किया जाएगा।
- (स) एक शहर हेतु एक से अधिक पात्र आवेदनकर्ता होने की स्थिति में एक सुपरस्टॉकिस्ट का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।
- (द) एक शहर हेतु एक से अधिक पात्र आवेदनकर्ता होने की स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हित के दृष्टिगत एक से अधिक सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक का चयन कर उनके मध्य सहमति से क्षेत्र का विभाजन कर नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

2. पात्रता की न्यूनतम शर्तें :-

1. आवेदनकर्ता/कंपनी/फर्म को पात्रता की शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
2. अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. आवेदन के साथ आवेदनकर्ता/कम्पनी/फर्म के डायरेक्टर का स्वप्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
4. चयनित आवेदनकर्ता को संबंधित दुग्ध संघ के साथ निर्धारित शर्तों का रू 1000 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य है।
5. सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक के पास उक्त शहर/क्षेत्र में स्वयं का ऑफिस/आउटलेट होना आवश्यक है।
6. यदि कोई ऐसा आवेदन प्राप्त होगा जिसका एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघों या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में कोई रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में आवेदक पर एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघ या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों की नीतियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई हो तो ऐसे आवेदन को दुग्ध संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
7. वर्तमान में जिन आवेदकों के एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता संबंधी किसी भी प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो एवं आर.सी की कार्यवाही प्रचलन में हो ऐसे आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसे आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जावेगा।
8. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ राशि रू. 10000/- ई.एम.डी. (बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पक्ष में) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसा आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
9. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी जप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा साथ ही ऐसे आवेदन को निरस्त समझा जाएगा।

3. प्रमुख आवश्यक अर्हताएं :-

क्र.	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी / पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा अन्य) ।	प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र / पार्टनरशिप डीड / पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
2.	आवेदनकर्ता का पेन कार्ड नम्बर ।	पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें
3.	आवेदनकर्ता का जी.एस.टी नम्बर ।	जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	आवेदनकर्ता के बैंक का नाम व (न्यूनतमदज) चालू खाता क्रमांक ।	बैंक खाते का एक स्वप्रमाणित निरस्त मूल चेक संलग्न करें।
5.	आवेदनकर्ता को एक वित्तीय वर्ष 2021.2022 का आयकर जमा (ITR) विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2021.2022 की आयकर विवरणी ।
6.	आवेदनकर्ता के पास स्वयं का वैध 100 लायसेन्स । (सुपरस्टॉकिस्ट / वितरक हेतु निर्धारित)	वैध 100 लायसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
7.	राशि रु. 10000/- ई.एम.डी. (बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर पक्ष में)	राशि रु. 10000/- ई.एम.डी. (बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर पक्ष में) संलग्न करें।
8.	आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी / कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। (इस बाबत रु. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)	आवेदन प्रपत्र के परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मूल शपथ पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।
9.	आवेदनकर्ता का एमपीसीडीएफ एवं इसके अधीनस्थ दुग्ध संघों / अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में किसी भी कार्य हेतु रिकार्ड खराब नहीं है। (इस बाबत रु. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)	रिकार्ड खराब न होने के संबंध में रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मूल शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट "ब" अनुसार संलग्न करें।
10.	आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)	आवेदन पत्र के परिशिष्ट 'स' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मूल शपथ पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।
11.	आवेदनकर्ता यदि वर्तमान में एमपीसीडीएफ / इसके अधीनस्थ दुग्ध संघ के साथ किसी भी कार्य हेतु अनुबंधित / कार्यरत हैं व आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो संबंधित दुग्ध संघ का छळ (अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।	मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट 'द' पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।
12.	समान व्यवसाय अथवा एफएमसीजी कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।	तत्संबंध में व्यक्ति / संस्था / फर्म स्वयं के लेटर हेड में अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

4. सुरक्षा निधि व सामग्री प्रदाय भुगतान संबंधी सामान्य निर्देश :-

1. सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदनकर्ता का चयन होने पर प्रतिभूति राशि रु. 5,00,000/- (रु. पाँच लाख मात्र) (50 प्रतिशत नगद एवं 50 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में) दुग्ध संघ कार्यालय में एक मुश्त जमा करानी होगी। जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुपरस्टॉकिस्ट को केवल अग्रिम भुगतान पर ही दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद प्रदाय किए जाएंगे।
2. यह कि भविष्य में वितरण/विक्रय मात्राओं में बढ़ोतरी के दृष्टिगत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि में वृद्धि करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा जिसे जमा करने हेतु सुपरस्टॉकिस्ट बाध्य रहेगा।
3. साँची सुपरस्टॉकिस्ट को दूध/साँची के समस्त उत्पाद एफओआर (एक निश्चित स्थान पर पहुँचाकर) प्रदाय किये जावेंगे।

4. मार्जिन के संबंध में सामान्य निर्देश :-

1. साँची सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ द्वारा संघ की लाभात्मकता सुनिश्चित करते हुए स्थानीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर नियमानुसार मार्जिन/कमीशन दिया जावेगा। संघ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश के बाहर विक्रय हेतु प्रदाय सामग्री का विक्रय मध्यप्रदेश के अन्दर न हो अर्थात मार्जिन/कमीशन/मूल्य का अनुचित लाभ किसी भी पार्टी को न दिया जाए। प्रयागराज (उ.प्र.) हेतु तैयार की गई सामग्री का पैकेट उसी क्षेत्र में विक्रय किया जाए अर्थात पैकिंग का दुरुपयोग न हो।

5. कार्य अवधि :-

आवेदन स्वीकृति के उपरांत कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। तीन वर्ष की अवधि में कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। परंतु अनुबंध की अवधि में बढ़ोतरी किसी भी पक्ष के लिए अधिकार नहीं होगा। दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः आवेदन आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।

6. सुपरस्टॉकिस्ट के दायित्व :-

1. विद्युत/पानी/डीप फ्रीज एवं अन्य व्यवस्था सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा किया जावेगा।
2. सुपरस्टॉकिस्ट (आवेदनकर्ता) को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहन/वितरण/विक्रय हेतु दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित तापमान एवं क्षमता का स्वयं का अथवा अनुबंधित इंसुलेटेड रेफ्रिजरेटेड वाहन लगाना अनिवार्य होगा।
3. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित लागू समस्त कानून अथवा नियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप-तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का पालन करना सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक की जिम्मेदारी रहेगी।
4. सामग्री का रख-रखाव/भण्डारण हेतु व्यवस्था सुपरस्टॉकिस्ट को स्वयं के व्यय से करनी होगी। विद्युत एवं जल बिल का भुगतान सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा किया जाएगा।
5. आवेदनकर्ता को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधित सुपरस्टॉकिस्ट की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में यह कार्य संचालित किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी, कार्य संबंधी समस्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण करेगा।
6. सुपरस्टॉकिस्ट तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय नहीं करेगा। सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा जो भी सुपरस्टॉकिस्ट के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, उसका वहन सुपरस्टॉकिस्ट को करना होगा। सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि/सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।

7. दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट कार्य आवंटन की स्थिति में दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों के विक्रय के लक्ष्य माहवार एकजाई प्रत्येक वर्ष के लिए दिए जाएंगे। लक्ष्य पूर्ण नहीं होने पर कार्यादेश समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
8. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही सुपरस्टॉकिस्ट साँची दूध एवं समस्त उत्पादों का वितरण/विक्रय करेंगे। यदि दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर साँची दूध, साँची के समस्त उत्पादों आदि का वितरण/विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रु. 5000/- का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन सुपरस्टॉकिस्ट को करना होगा। उक्त कार्य की पुर्नरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
9. साँची दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ सीमित होती है अतः सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक का यह दायित्व होगा कि वह दूध एवं दुग्ध पदार्थों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी सिस्टम के माध्यम से देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए वितरण/विक्रय करे।
10. सुपरस्टॉकिस्ट को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटेड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।
11. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा साँची ब्राण्ड की पैकिंग का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा। किसी भी स्थिति में दुरुपयोग पाया जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के साथ-साथ ठेका निरस्ती की कार्यवाही भी की जावेगी।

7. ठेका समाप्ति की प्रक्रिया :-

1. (क) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा इस कार्य का दुरुपयोग करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त कार्य हेतु अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। (दुग्ध संघ की ओर से हटाए जाने की स्थिति में संघ में जमा 25 प्रतिशत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त नहीं की जावेगी)
(ख) सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक अनुबंधित अवधि में एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु 30 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर उक्त कार्य हेतु अनुबंध समाप्त कर सकेगा किन्तु दुग्ध संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा। साथ ही इस दशा में सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक की 25 प्रतिशत संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि दुग्ध संघ द्वारा जब्त की जाएगी। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तो इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। (सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा अनुबंध अवधि के पूर्व स्वयं की इच्छा पर कार्य छोड़ने की स्थिति में संघ में जमा 25 प्रतिशत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त की जावेगी)
2. सभी औपचारिकताएँ निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं पूर्ण ई.एम.डी. भी जब्त की जा सकेगी।
3. कार्य आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि दुग्ध संघ द्वारा कार्य निरस्त किया जाता है या सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा स्वयं की इच्छा से कार्य छोड़ा जाता है तो प्रतिभूति मद में जमा राशि का रिफण्ड लेने के पूर्व सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ से बकाया लेनदेन व क्रेट आदि के समायोजन पश्चात् नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर, लेनदारी व देनदारी पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।

8. अन्य सामान्य शर्तें :-

1. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित सुपरस्टॉकिस्ट आवेदन की प्रक्रिया एवं आवेदन की समस्त शर्तें भी अनुबंध का भाग मानी जावेगी।
2. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश/आदेश/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
3. अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा, जिसकी सूचना सुपरस्टॉकिस्ट को दी जावेगी एवं सुपरस्टॉकिस्ट को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

4. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की शर्तों एवं अनुबंध की शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

9. विवाद का निराकरण :-

1. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
2. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्र अधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।
3. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र दुग्ध संघ मुख्यालय जबलपुर (म.प्र.) न्यायालय होगा।

सामान्य जानकारी

आवेदन प्रपत्र 03

❖ साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टाकिस्ट सह-परिवहनकर्ता हेतु ❖
ई-निविदा प्रपत्र/आवेदन

पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करे

1. आवेदक का नाम ■ _____
2. पिता/पति का नाम ■ _____
3. उपनाम/सरनेम ■ _____
4. स्थाई पता ■ _____
(प्रमाण सहित) _____
5. व्यवसाय का पता ■ _____

- (अ) दूरभाष नं. ■ _____
- (ब) मोबाईल नं. ■ _____
6. शैक्षणिक योग्यता ■ _____
7. आवेदनकर्ता का वर्ग ■ _____
(अजा, अजजा, पि. वर्ग, सामान्य) ■ _____
8. आवेदक/फर्म का नाम/यदि ■ _____
फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर-
शिप फर्म की पूर्ण जानकारी _____
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना
अनिवार्य है।
9. वर्तमान व्यवसाय ■ _____
10. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ■ _____
ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र
संलग्न करे)
11. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ■ _____

(अ) चल-अचल सम्पत्ति का
ब्योरा।

(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में
जमा राशि।

12. सुपरस्टाकिस्ट हेतु आवश्यक
पूंजी की व्यवस्था।

■ -----

नोट:- परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघों के माननीय
अध्यक्ष/संचालक/अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम -
पिता -
आयु -
निवासी -

01. जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा प्रयागराज (उ.प्र.) में सुपरस्टॉकिस्ट के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा (शहर व राज्य) में सुपरस्टॉकिस्ट के कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/संचालक/अधिकारी/कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं उनके आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूँ।

इति दिनांक शहर
.....

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक शहर

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

एमपीसीडीएफ एवं इसके अधीनस्थ दुग्ध संघों या अन्य किसी भी स्थानीय दुग्ध संघों में रिकार्ड खराब नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि . जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा आमंत्रित (शहर व राज्य) में सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक के कार्य हेतु आवेदन प्रक्रिया में मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरा एमपीसीडीएफ, भोपाल/इससे सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण रिकार्ड खराब नहीं है।

इति दिनांक शहर हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक शहर हस्ताक्षर शपथग्रहिता

किसी भी पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मुझ शपथग्रहिता द्वारा जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा आमंत्रित
..... (शहर व राज्य) में सुपरस्टॉकिस्ट के कार्य हेतु आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया गया है।
मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में
किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक शहर हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या
01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी
छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक शहर हस्ताक्षर शपथग्रहिता

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स.....
 वर्तमान में सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, के साथ के
 रूप में कार्यरत है तथा आज दिनांक तक की स्थिति में
 श्री/श्रीमती/मेसर्स की तरफ सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, की कोई
 भी लेनदारी शेष नहीं है। श्री/श्रीमती/मेसर्स को (शहर व राज्य) में
 सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक के कार्य हेतु आवेदन में भाग लेने पर सहकारी दुग्ध संघ
 मर्यादित को कोई आपत्ति नहीं है।

जारी दिनांक—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर

प्रारूप

म.प्र. के बाहर (शहर व राज्य) में सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक कार्य हेतु अनुबंध-प्रपत्र का प्रारूप

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमती/मेसर्स..... आत्मज/पति/प्रोपराइटर....., आयु-..... निवासी-..... (शहर व राज्य) में (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांकको निष्पादित किया गया है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष दूध व अन्य साँची के समस्त उत्पाद वितरण/विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर द्वितीय पक्ष को दूध व अन्य साँची के समस्त उत्पाद वितरण/विक्रय हेतु अधिकृत करता है।
2. (क) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा इस कार्य का दुरुपयोग करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त कार्य हेतु अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। (दुग्ध संघ की ओर से हटाए जाने की स्थिति में संघ में जमा 25 प्रतिशत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त नहीं की जावेगी)
(ख) सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक अनुबंधित अवधि में एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु 30 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर उक्त कार्य हेतु अनुबंध समाप्त कर सकेगा किन्तु दुग्ध संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा। साथ ही इस दशा में सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक की 25 प्रतिशत संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि दुग्ध संघ द्वारा जब्त की जाएगी। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तो इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। (सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा अनुबंध अवधि के पूर्व स्वयं की इच्छा पर कार्य छोड़ने की स्थिति में संघ में जमा 25 प्रतिशत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त की जावेगी)
3. कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। तीन वर्ष की अवधि में कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। परंतु अनुबंध की अवधि में बढ़ोतरी किसी भी पक्ष के लिए अधिकार नहीं होगा। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।
4. कार्य आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि प्रथम पक्ष द्वारा कार्य निरस्त किया जाता है या द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं की इच्छा से कार्य छोड़ा जाता है तो प्रतिभूति मद में जमा रु (..... रुपये मात्र) का रिफण्ड लेने के पूर्व सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को दुग्ध संघ से बकाया लेनदेन क्रेडिट आदि के समायोजन पश्चात् नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर, लेनदारी/देनदारी पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।
5. द्वितीय पक्ष को मध्यप्रदेश के बाहर के राज्यों में साँची सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक स्वरूप कार्य करने हेतु रु (..... रुपये मात्र) (50 प्रतिशत नगद एवं 50 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में) सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करनी होगी एवं जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। द्वितीय पक्ष को केवल अग्रिम भुगतान पर ही दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद प्रदाय किए जाएंगे।
6. यह कि भविष्य में वितरण/विक्रय मात्राओं में बढ़ोतरी के दृष्टिगत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।

7. यह कि प्रतिभूति/सुरक्षा निधि से कार्य संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
8. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों की शेल्फ-लाइफ सीमित होती है अतः सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक का यह दायित्व होगा कि वह दूध एवं साँची के अन्य उत्पादों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी सिस्टम के माध्यम से देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए वितरण/विक्रय करें।
9. द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा आवंटित कार्य समय-समय पर सूचित समय सारणी अनुसार करना अनिवार्य होगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध व साँची के समस्त उत्पाद की मूल्य तालिका से संबंधित को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
11. द्वितीय पक्ष को सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक का कार्य हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्षकार ने यह कार्य दूसरे को हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर दिया तो कार्य आवंटन निरस्त कर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस एफ.आई.आर./वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।
12. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित समस्त कानून अथवा नियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप-तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का पालन करना द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।
13. यह कि सामग्री रख-रखाव हेतु फ्रिज/डीप फ्रीजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी तथा उसका तापमान निर्धारित डिग्री रखकर साँची दूध व दुग्ध उत्पाद का शीतलीकरण व गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
14. सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरण/विक्रय हेतु दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित तापमान एवं क्षमता का स्वयं का अथवा अनुबंधित इंसुलेटेड/रेफ्रिजरेटेड वाहन लगाना अनिवार्य होगा।
15. सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक के पास उक्त शहर/क्षेत्र में स्वयं का ऑफिस/आउटलेट होना चाहिये।
16. सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय नहीं करेगा। सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा जो भी सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, उसका वहन सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को करना होगा। सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि/सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।
17. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक साँची दूध एवं समस्त उत्पादों का वितरण/विक्रय करेंगे। यदि दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर साँची दूध साँची के समस्त उत्पादों आदि का वितरण/विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रु. 5000/- का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को करना होगा। उक्त कार्य की पुर्नरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
18. यह कि कार्य पर होने वाले व्यय जैसे किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।
19. प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय किये गये दुग्ध/दुग्ध पदार्थ/साँची के उत्पादों की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा सीधे संबंधित दुग्ध संघ के निर्धारित बैंक में अग्रिम जमा कराया जाना होगा। यदि किसी दिन बैंक का अवकाश हो तो, अग्रिम राशि जमा कराई जाएगी।
20. प्रदायकर्ता दुग्ध संघ को द्वितीय पक्ष प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध उत्पाद की समस्त धनराशि आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से अग्रिम जमा करेगा, साथ ही संघ में रेखांकित एवं हस्ताक्षरित (दुग्ध संघ के हित में) चेक बुक देगा। आवश्यकता पड़ने पर धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति में निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।
 - A- धनादेश के अनादरित होने पर रु. 20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रु. 1000/- के मान से वसूली जावेगी। रु. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रु. 2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।
 - B- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस की भीतर सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8 वें दिवस से 14 वें

- दिन के लिए अर्थदंड की राशि रु. 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रु. 2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु. 4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
- C- यदि इसके पश्चात् भी द्वितीय पक्ष द्वारा मूल राशि के साथ-साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15 वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रु. 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रु. 3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु. 6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
21. द्वितीय पक्ष के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ-साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
 22. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृत सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधितों से कर रहा है। अतः संबंधितों से लेन-देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
 23. सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को प्रथम पक्षकार (दुग्ध संघ) यदि किसी सहकारिता या अन्य कंपनी के उत्पाद वितरण/विक्रय हेतु निर्देशित करेगा तो सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को वह वितरण/विक्रय करना अनिवार्य होगा।
 24. यह कि दुग्ध संघ द्वारा सामग्री की प्रदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही सामग्री प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण/ विक्रय करेंगे। प्राप्ति के उपरांत सामग्री की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
 25. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम/खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष देगा एवं इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे। यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराने, लाइसेंस प्राप्त करने व नियम के पालन हेतु बाध्य रहेगा।
 26. यह कि सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक के प्रथम पक्ष द्वारा जो ब्राण्डिंग मटेरियल, केन, क्रेट्स, बॉटल, प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट-फूट या नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करनी होगी।
 27. यह कि दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किये गये दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेट्स, बॉटल का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ के खाली क्रेट्स का स्वयं उपयोग करने/बेचने पर द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी।
 28. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगा।
 29. यह कि शासन/प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ के भंडारण/वितरण/विक्रय संबंधी जो भी नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय-समय पर बनाये जायेंगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना, कार्य निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।
 30. यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद की दर एवं मार्जिन संबंधी जारी किए गए पत्र/परिपत्र/आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेंगे।
 31. मध्यप्रदेश के बाहर के राज्यों में साँची सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार निर्धारित मार्जिन/कमीशन दिया जावेगा। मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्यों हेतु सामग्री का अधिकतम खुदरा मूल्य (डूल्) पृथक हो सकता है। अतः द्वितीय पक्ष द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्यप्रदेश के बाहर विक्रय हेतु प्रदाय सामग्री का विक्रय मध्यप्रदेश के अन्दर न हो। किसी विशेष क्षेत्र हेतु तैयार की गई सामग्री का पैकेट उसी क्षेत्र में विक्रय किया जाए अर्थात् अर्थात् मार्जिन/कमीशन/मूल्य एव पैकिंग का दुरुपयोग न हो।
 32. अनुबंधित सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद दुग्ध संघ से निर्धारित प्रक्रिया एवं दरों पर प्राप्त करने होंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा मांग की आपूर्ति किया जाना संभव न हो तो अन्य दुग्ध संघों से सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक स्वयं के परिवहन व्यय पर दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद प्राप्त कर सकेंगे।

33. दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक कार्य आवंटन की स्थिति में दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों के विक्रय के लक्ष्य माहवार एकजाई प्रत्येक वर्ष के लिए दिए जाएंगे। लक्ष्य पूर्ण नही होने पर कार्यादेश समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
34. सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को विक्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटेड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।
35. यह कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
36. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश/आदेश/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
37. सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप एवं इसकी समस्त शर्तें भी इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शर्त प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा।
38. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
39. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्र अधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।
40. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र दुग्ध संघ मुख्यालय के शहर का न्यायालय होगा।
41. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की शर्तों एवं अनुबंध की शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
42. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर समझ लिया है एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के अनुबंध हस्ताक्षरित कर निष्पादित किया गया है।

दिनांक :

गवाह : —

हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर —

1. प्रथम पक्षकार

नाम —

पता —

2. हस्ताक्षर —

2. द्वितीय पक्षकार

नाम —

पता —

.....समाप्त.....



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>